न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 52/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रामपाल आत्मज गोपाल जाति कीर
2. नन्दा आत्मज मूलचंद जाति कीर
3. रमेश आत्मज भूरा जाति कीर
निवासीगण कीरो का झोंपडा खानपुरा तहसील नैंनवा जिला बूंदी।

.... अपीलार्थी

बनाम

1. डालूराम आत्मज श्योनारायण जाति माली निवासी कीरों का झोपडा (खानपुरा) तहसील नैंनवा जिला बूंदी।
2. तहसीलदार नैंनवा जिला बूंदी–राज0।

.... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री महेश योगी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री लोकेश कुमार सैनी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:: निर्णय ::

दिनांक 22.2.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 121/प्रार्थना पत्र/2016 अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 बउनवान रामपाल वगेरा बनाम डालूराम आदि मे पारित निर्णय दिनांक 31.3.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्रम–1 डालूराम आ0 श्योनारायण जाति माली निवासी कीरो का झोंपडा (खानपुरा) को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि खसरा नं0 277 मि. रकबा 06 बीघा 4 बिस्वा मे से 3 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 2.6.1992 को किये गये आवंटन को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी रामपाल वगेरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) 1970 का अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.3.2017 से निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि द्वारा सुस्थापित सिद्वातों के सर्वथा विपरीत है क्योंकि आवंटन परामर्शदात्री समिति नैनवा द्वारा बिना तथ्यों की जांच किये आवंटन किया जाना पूर्णतया साबित होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। वक्त आवंटन अपीलांट को कोई सूचना नही दी गई जबकि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट आवंटन किये जाने की सम्पूर्ण शर्ते पूरी करता है तथा अपीलाट सद्भावी कृषक है। अपीलांट से पूर्व उसके पिता काश्त करते थे उन्ही के द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा सिचांई हेतु ट्यूबबेल लगवाया हुआ है। रेस्पो0 कम–1 आज तक काबिज नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित किया है। क्योंकि मात्र आवंटन होना ही अधिकारों का निर्धारण नही है। रेस्पो0 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुये आवंटन कराया गया है ऐसे आवंटन को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों से परे जाकर जेरअपील निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 31.3.2017 एवं आवंटन आदेश दिनांक 2.6.1992 निरस्त किया जावे।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 कम–1 का आवंटित भूमि पर कब्जा नही रहा है इस तथ्य तथ्य को छिपाकर भूमि का आवंटन कराया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के पिता ने ही भूमि को काश्त योग्य बनाया तथा टयूबवेल लगाया है। रेस्पो0 कम–1 ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नही की। आवंटन आदेश पर आवंटन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) निरस्त करने मे त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालयका जेरअपील आदेश तथा आवंटन आदेश 2.6.1992 निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम–1 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा द्वारा नियमानुसार आवंटन पूर्ण कोरम मे किया गया है। उसका आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा गिरदावरी संवत 2053–2056, 2057–2060 तथा 2061–2064 मे रेस्पो0 की फसल व कब्जा दर्ज है। आवंटी ने सभी शर्तो का पालन किया है। आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा वह खातेदार कृषक है। नियम 14(4) के अन्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से चलने योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है। बहस मे बताया कि रेस्पो0 कम–1 वादग्रस्त आराजी का आवंटी है ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। अपील खारिज की जावे।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पो0 कम–1 डालूराम आ0 श्योनारायण जाति माली निवासी कीरो का झोंपडा (खानपुरा) को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि खसरा नं0 277 मि. रकबा 06 बीघा 4 बिस्वा मे से 3 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 2.6.1992 आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पूर्ण कोरम

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मे किया गया है तथा आवंटन के पश्चात आवंटी को मौके पर दखल दिया जाकर कब्जा सम्भलाया गया है तद्उपरांत नियमानुसार पट्टा फीस जमा की गई तथा मौके पर कब्जा सम्भलाने का नजरी नक्शा भी दखलनामे मे बनाया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन पट्टा जारी किया गया है। यदि आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त भी है तो वह अतिक्रमण की हैसियत से है तथा अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। आवंटन वर्ष 1999 का है जिसे लगभग 28 वर्ष का समय हो चुका है। जबकि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है। आवंटन समिति द्वारा रेस्पो0 क्रम–1 को पात्र मानते हुये आवंटन विधि पूर्वक किया जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति 25 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करने से तथा उसको जमीन से बेदखल करने से न्याय के साथ कुठाराघात होगा जैसा कि आरआरडी 1993 पेज 516 मे प्रतिपादित किया गया है। आरआरडी 1996 पेज 234–236 मे प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन तिथी को अतिक्रमियों के कब्जे के आधार पर आंवटी के आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता। उपरोक्त तथ्यों एंव न्यायिक नजीरों के आलोक मे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 31.3.2017 को विधिसम्मत पाते है। अतः जेरअपील निर्णय मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नहीं है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

9 निर्णय आज दिनांक 22.2..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

22/2/21

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा